निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 141 वर्ष 2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, देहरादून** के माह जुलाई 2015 से फरवरी 2019 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री प्रदीप कुमार मौर्या, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, श्री सुनील कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री आशीष कुमार, लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 11/03/2019 से 15/03/2019 तक श्री रणवीर सिंह वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखा सर्वश्री भानु प्रताप सिंह, डी के मट्टू सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री शेखर वर्मा लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 23/07/2015 से 30/07/2015 तक में सम्पादित किया गया एवं उक्त लेखा परीक्षा में माह 02/2013 से 06/2015 तक के लेखा अभिलेखों की सामान्यतः जांच की गई थी।

1. **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार:**

कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी, देहारादून के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत पशुपालन रोग नियंत्रण, नस्ल सुधार कार्यक्रम और चारा विकास किया जाना है। विभाग द्वारा पशुओं की बीमारी के नियंत्रण कार्यक्रम का क्रियान्वयन जानवरों के विकास संबंधी गतिविधियों संपादित की जाती है। इसके साथ ही विभाग उन स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों को भी नियंत्रित कर रहा है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हैं।

बजट

(अ) लेखा परीक्षा अवधि में योजनावार बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(र लाख में)

वर्ष	मुख्य लेखा शीर्ष	गत अवशेष	आवंटन	योग	व्यय	अवशेष
2015-16	2403	0	538.00	538.00	538.00	00
2016-17	2515	0	478.08	478.08	478.08	00
2017-18	8000	0	574.04	574.04	574.04	00
2018-19(01/2019)		0	631.70	631.70	568.32	63.38

2. इकाई को बजट आवंटन एव राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई "**C**" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

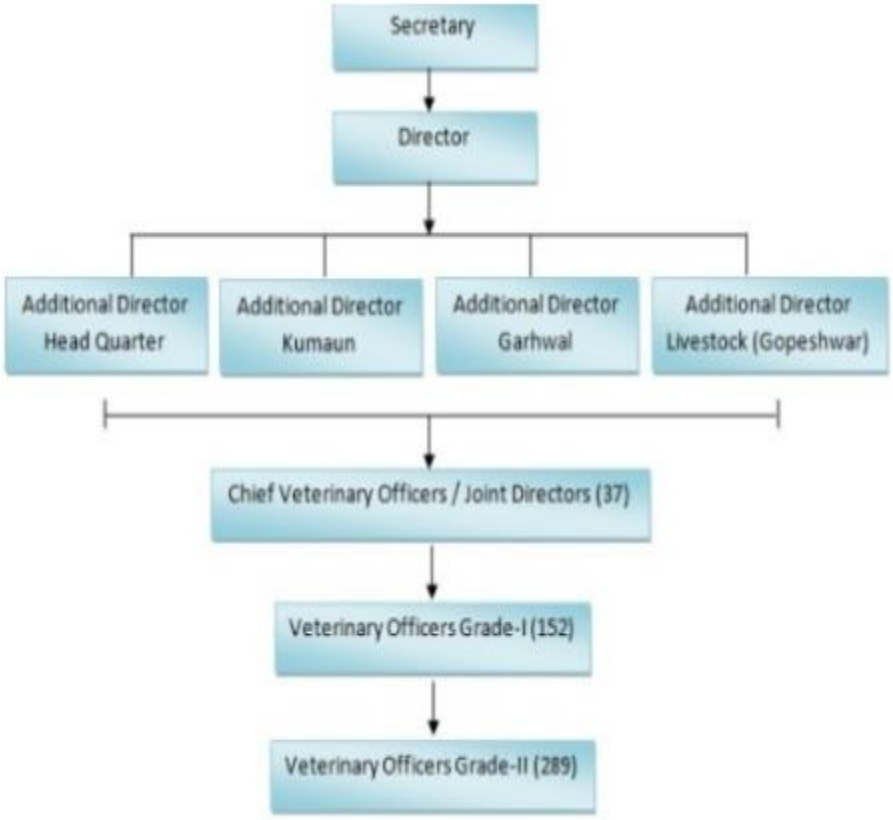

3. लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, देहरादून को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। लेखा परीक्षा द्वारा व्यय विवरण के आधार पर सर्वाधिक व्यय वाले माह मार्च 2018 और फरवरी 2019 को विस्तृत जांच एवं विश्लेषण हेतु चयन किया गया।

4. लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियमन-2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग- दो'ब'

प्रस्तर-1: मूल स्वीकृति के अधीन एक पशु चिकित्सालय की चारदिवारी (BoundaryWall) का निर्माण सुनिश्चित न किए जाने के परिणामस्वरूप परिहार्य व्यय `15.45 लाख।

कार्यालय मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, देहारादून के लेखा अभिलेखों के अवलोकन से पाया गया था कि कार्यालय को वर्ष 2017-18 की जिला योजना के तहत पशु-चिकत्सालय, लाखामंडल की चाहरदिवारी (Boundary Wall) के निर्माण हेतु `15.45 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। यह कार्य उत्तराखंड पेयजल संसाधन निगम की विकासनगर शाखा को सौंपा गया था जिसके द्वारा स्वीकृत लागत में पूरा कर दिनांक 28-02-2019 को विभाग को हस्तगत किया गया था। संबन्धित पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज्ञात हुआ था कि पशु-चिकित्सालय, लाखामंडल के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण मूल रूप से वर्ष 2003-04 के दौरान `8.95 लाख की लागत से स्वीकृत थे जिसे ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, देहरादून के माध्यम से निष्पादित करवाकर अन्तिमरूप से नवम्बर 2010 में हस्तांतरण प्राप्त किया गया था।

लेखा परीक्षा जांच में पाया गया था कि उपरोक्तानुसार पशु-चिकित्सालय, लाखामंडल भवनों की मूल स्वीकृति `8.95 लाख तहत `1.528 लाख की स्वीकृति पार्श्व में दिये गए विवरणानुसार चाहरदिवारी (Boundary Wall) निर्माण के लिए स्वीकृत एवं निर्माण एजेंसी को हस्तगत थी परन्तु उनके (ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, देहरादून) द्वारा चारदिवारी के निर्माण बिना ही कार्य विभाग को हस्तगत (नवम्बर 2010) किए गए थे और विभाग द्वारा कोई ऐतराज नहीं किया गया था। इस प्रकार यदि विभाग द्वारा मूल कार्यों का निष्पादन स्वीकृति के अनुसार सुनिश्चित करवाया होता तो इस कार्य हेतु दुबारे पृथक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं पड़ती और `15.45 लाख के अतिरिक्त व्यय को बचाया जा सकता था।

Particulars	Amount(`)
Construction as per abstract of cost	5,48,000
Add 10% for Internal water supply/sanitary	54,800
Add 9% for Electrification and Fan's	49,320
Add 10% for External water supply/sanitary	54,800
Add 5% contingency on above	35,346
Add cost of construction of Boundary Wall	1,52,800
Total (say `8.95 lakh)	**8,95,066**

प्रकरण को इंगित किए जाने पर कार्यालय द्वारा कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया था।

अतः: विभाग द्वारा मूल स्वीकृति के अधीन उक्त पशु-चिकित्सालय की चाहरदिवारी (BoundaryWall) का निर्माण सुनिश्चित न किए जाने के परिणामस्वरूप हुये परिहार्य व्यय `15.45 लाख का यह प्रकरण प्रकाश में लाया जाता।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर:2- योजना के प्रावधानों के विरुद्ध अयोग्य लाभार्थी को `35000.00 का अनियमित अनुदान।

शासन द्वारा राज्य सैक्टर योजनान्तर्गत उत्तराखंड राज्य में महिला बकरी पालन योजना संचालित की जा रही है। उक्त योजना के अंतर्गत परित्यक्ता, विधवा, निराश्रित तथा अकेली रह रही महिलाओं एवं आपदा प्रभावित महिलाओं को लाभान्वित किया जाना था। उक्त योजना के अंतर्गत एक इकाई (प्रति इकाई की लागत `35000.00) जिसमे 03 बकरी तथा एक बकरा, पशुशाला निर्माण, पशु यातायात, पशु बीमा एवं अन्य व्यय 100% अनुदान पर वितरित किए जाने का प्रावधान किया गया। योजना के अंतर्गत यह भी प्रावधानित किया गया कि, राज्य सरकार की अन्य योजनाओ के अंतर्गत लाभान्वित लाभार्थी को इस योजना के तहत लाभान्वित नहीं किया जाएगा।

कार्यालय मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, देहरादून के अभिलेखो की लेखा परीक्षा जांच (मार्च 2019) में पाया कि, कार्यालय द्वारा वर्ष 2017-18 में कुल 10 लाभार्थियो को अनुदान वितरित किया गया उक्त 10 लाभार्थियों में से एक लाभार्थी श्री हरी सिंह (***पुरुष***) S/O स्व. उज्ज्वल सिंह निवासी-बड़ासी को भी योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया गया जोकि योजना के प्रावधानों के विरूद्ध है। यह भी उल्लेखनीय है कि, उक्त लाभार्थी को उसी वर्ष एस. सी. पी. योजना बकरी पालन के अंतर्गत भी लाभान्वित किया गया।

इस प्रकार कार्यालय द्वारा योजना के प्रावधानों के विरुद्ध लाभार्थी को `35000.00 का अनुदान वितरित किया गया जोकि योजना का दुरुपयोग है।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि, संबन्धित विकास खंड से आख्या मांग कर कार्यवाही की जाएगी।

अतः योजना के प्रावधानों के विरुद्ध अयोग्य लाभार्थी को `35000.00 का अनुदान वितरित किए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर:3- उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमो के विरुद्ध औषधि क्रय `6.49 लाख ।

कार्यालय मुख्य पशु चिकित्साधिकारी देहरादून द्वारा पशु चिकित्सालय हेतु दवा, vaccine, क्रय /शिविर के आयोजन हेतु किए गए व्यय की लेखा परीक्षा जांच में पाया कि, कार्यालय द्वारा विगत 04 वर्षो में निम्न व्यय किया गया है।

वित्तीय वर्ष	आवंटन (` लाख में)	व्यय (` लाख में)
2015-16	52.22	54.22
2016-17	66.2433	66.24328
2017-18	70.62	70.62
2018-19 (*02/2019 तक*)	70.62	70.62
कुल	**259.7033**	**261.70328**

लेखा परीक्षा द्वारा वर्ष 2018-19 में क्रय किए गए औषधि की पत्रावली की लेखा परीक्षा जांच (03/2019) में पाया कि, पशु चिकित्साधिकारी ग्रेड-1 केन्द्रीय भंडार पशु चिकित्सालय –सदर, देहरादून द्वारा पत्र संख्या 35/के. भ. /मांग पत्र /2018-19 दिनांक 06-06-2018 के द्वारा औषधि की मांग प्रस्तुत की गयी। कार्यालय द्वारा औषधि क्रय हेतु एक साथ कार्यदेश न जारी कर अधिप्राप्ति नियमो के विरूद्ध 25 टुकड़े (लागत `5.78 लाख-***विवरण संलग्न***) में विभक्त कर क्रय आदेश जारी किया गया है। इसी प्रकार पशु चिकित्साधिकारी ग्रेड-1 केन्द्रीय भंडार पशु चिकित्सालय–सदर, देहरादून द्वारा पत्र संख्या मेमो /के. भ. /मांग पत्र /2018-19 दिनांक 15-11-2018 के द्वारा औषधि की मांग के सापेक्ष पुनः 4 भाग (लागत `70800) में क्रय आदेश जारी किया गया। यह भी उल्लेखनीय है कि कार्यालय द्वारा उक्त क्रय Quotation की आधार पर किया गया है तथा अधिप्राप्ति नियमो के विरूद्ध क्रय किए जाने हेतु न तो कोई औचित्य स्पष्ट किया गया है और न ही उच्चाधिकारियों से अनुमति प्राप्त किया गया है।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि, अनुमोदित दर सूची में मांग के अनुरूप औषधि की दरें अनुमोदित न होने के कारण आकस्मिकता की स्थिति को देखते हुए निर्धारित सीमा के अंतर्गत किया गया।

कार्यालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि केन्द्रीय भंडार, द्वारा एक साथ की गयी मांग (दिनांक 06-06-2018 और 15-11-2018) के सापेक्ष एक ही औषधि के लिए पृथक –पृथक आदेश जारी किया गया है।

अतः अधिप्राप्ति नियमो के विरुद्ध `6.49 लाख की औषधि क्रय किए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम संख्या	निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर का विवरण		
		भाग –II (अ)	भाग –II (ब)	STAN
1	82/2005-06	1 & 2	1 & 2	-
2	72/2012-13	-	1 & 2	-
3	40/2015-16	-	1	1 & 2
	कुल	**02**	**05**	**02**

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
खंड द्वारा अनिस्तारित प्रस्तरों की अद्यतन आख्या उच्चाधिकारियों की संस्तुति सहित प्रस्तुत नहीं किया गया।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.....शून्य.....

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

(i) माह 02/2019 रोकड़ बही ।

2. सतत् अनियमितताएः

(i) रोकड़ बही day to day नहीं लिखी जा रही है।

3. विगत लेखा परीक्षा से वर्तमान तक निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया।

क्रम सं0	नाम	पदनाम	अवधि
1.	डा. राकेश सिंह नेगी	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	14/10/2013 से 18/07/2017
2.	डा. एस. बी. पाण्डेय	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	18/07/2017 से वर्तमान तक।

4. विगत लेखा परीक्षा से वर्तमान तक निम्नलिखित लेखाकार कार्यालय से संबंद्ध रहे।

1. श्री मनोज कुमार बाडोनी लेखाकार विगत लेखा परीक्षा से वर्तमान तक।

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय **मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार, आर्थिक क्षेत्र-2 कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून-2481095 को प्रेषित किया जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक क्षेत्र - 2